

लय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

फर्द अहकाम

19 ⁸/₂₅

पत्रावली पेश हुई। वबुलाय उप० प्रतिवादी सं. 1 ता 21, 23 ता 4 के रजि० सम्मन तलताना पेश होने पर जासी होकर पत्रावली वास्ते तलती व जवाब प्रतिवादी सं. 22 दि. 16.09.25 को पेश हो।

16 ⁹/₂₅

पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज दिलाने पर भी वासीगन एवं उनके अधिवक्ता उप० नहीं हुए। अतः मु० नं० 9/2022 उमवानी रामहरि वनाम सुप्रेस डाका वाकत इस्तरारक, केंवारा एवं स्यायी निषेधवाली अदम पैरी अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वास तहमील में से कम की जाकर दाखिल रहतर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।